बिहार विधायिका सभा का वादवृत्त।

सोमवार, तिथि २८ नवम्बर, १९४९

भारत शासन विधान, १९३५ के प्रावधान के अनुसार एकत्र विधायिका सभा का कार्य विवरण।

सभा की बैठक पटने के सभा वेश्म में सोमवार, तिथि २८ नवम्बर, १९४९, को ११–३० बजे पूर्वाह्न में, माननीय प्रमुख श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुई।

भारत के संविधान के प्रति विनिहित निष्ठा का शपथ-ग्रहण।

माननीय प्रमुख : उपस्थित सभासदों में जिन्होंने भारत के संविधान के प्रति विनिहित निष्ठा की शपथ नहीं ली है वे शपथ लें।

निम्न सभासदों ने शपथ ली:—

(१) श्री अब्दुल हमीद मियां—(पलामू मुलसमान ग्रामीण)।

(२) श्री विश्वेश्वर प्रताप नारायण सिंह—(तिरहुत डिवीजन जमींदार)।

प्रमुख के आरम्भिक अभिभाषण।

सदस्यों का स्वागत।

माननीय प्रमुख: द्वितीय बिहार विधायिका सभा के इस सातवें अधिवेशन के अवसर पर मैं आप सबका और विशेषकर उन नये सदस्यों का, जिन्होंने आज सर्व प्रथम इस सभा में अपना स्थान ग्रहण किया है, हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि भारत सरकार ने इस सभा के एक प्रमुख सदस्य श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह को नेपाल में अपना राजदूत नियुक्त किया है। इस सभा के वे एक प्रभावशाली वक्ता थे और जब कभी वे बोलने के लिए खड़े होते थे उनको इस सभा के सदस्य बड़े ध्यान से सुना करते थे। इस सभा के वाद-विवाद में उनका योगदान बड़े महत्व का होता था। उनकी इस नियुक्ति पर मैं आपकी ओर से तथा अपनी ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं किन्तु इस बात का मुझे अवश्य खेद रहेगा कि यह सभा अब उनकी सदस्यता से लाभ नहीं उठा सकेगी। यह भी प्रसन्नता और संतोष की बात है कि इस सभा के दूसरे प्रमुख सदस्य श्री शार्ङ्गधर सिंह पटना विश्वविद्यालय के उपकुलपति नियुक्त हुए हैं। आप एक प्रतिभासंपन्न व्यक्ति हैं और यह नियुक्ति उनकी योग्यता के अनुरूप ही हुई है और इसलिए वे भी हमारी बधाई के पात्र हैं।

श्री गुरु सहाय लाल और श्री टी० एस० मैक्फरसन के निधन पर शोक प्रकाश।

माननीय प्रमुख : किन्तु आज मुझे बहुत दुःख के साथ माननीय जस्टिस सर टामस स्टुअर्ट मैकफरसन के निधन की सूचना आपको देनी पड़ती है। आप इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य थे और कुछ वर्षों तक बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य भी रहे। आप कुछ समय तक हाईकोर्ट के जज थे और फिर पटना विश्वविद्यालय के उप-कुलपति भी हुए। आपका जीवन बड़ा सफल रहा और आपकी मृत्यु से हमलोगों को बहुत दुःख है।

श्री गुरु सहाय लाल के देहावसान से इस प्रान्त ने एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता तथा एक कर्मठ व्यक्ति खो दिया है। वे एक लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति थे और उन्होंने प्रान्त की बड़ी सेवा की। १९२४ में ही वे बिहार और उड़ीसा लेजिसलेटिव कौंसिल के

१२८। श्री राधाकान्त चौधरी: क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि उक्त लड़की ने छात्रवृत्ति मिलने में विलम्ब होने पर डी० पी० आई० के पास आवेदन-पत्र दिया था और डी० पी० आई० ने उस आवेदन-पत्र को तिरहुत डिवीजन के स्कूल इन्सपेक्टर के पास भेजा था, यदि हां तो उस पर क्या कार्रवाई हुई;

(ख) तिरहुत डिवीजन के स्कूल इन्सपेक्टर ने छात्रवृत्ति के शीघ्र पेमेंट के लिए अपनी ओर से क्या कार्रवाई की, अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो क्या कारण है;

(ग) समय पर पेमेंट नहीं होने में किसकी गलती है इसके बारे में क्या सरकार कोई जांच करने और अपराधी को दंड देने का विचार करती है;

(घ) क्या सरकार अभी भी बाकी छात्रवृत्ति पेमेंट कराने के लिए कोई व्यवस्था करने का विचार करती है?

माननीय आचार्य बदरीनाथ वर्मा:

(क) उत्तर 'हां' में है।

(ख) इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, तिरहुत डिवीजन ने हेडमास्टर से बिल मांगा, मिलने पर बिल प्रति-हस्ताक्षरित हुआ, रुपये निकाले गये और ११ मार्च, १९४९ को मनीआर्डर द्वारा हेडमास्टर को भेज दिये गये।

(ग) यह संस्था के प्रधान का काम है कि वे बिल उपस्थित करें और समय पर वापस नहीं मिलें, तो वे स्मरण भेजें। डाइरेक्टर आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन ने छात्र-वृत्तियों के यथा समय प्रदान और चुकती के लिए तथा इस विषय में अनावश्यक विलम्ब के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिये उपाय किये हैं।

(घ) चूंकि रकम की चुकती हो गयी है, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम-सुधार को पूर्ववत चालू करने का आश्वासन।

१२९। श्री जगत नारायण लाल: क्या सरकार यह बतायेंगी कि उसने ग्राम-सुधार विभाग को पुनः पूर्ववत् चालू करने का जो आश्वासन व्यवस्थापिका सभा में दिया था उसे अब तक कार्य रूप में क्यों नहीं परिणत किया है। क्या उसे आश्वासन को वह कार्य रूप में परिणत करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

माननीय डाक्टर सैयद महमूद: सरकार ने वर्त्तमान के लिये अस्थायी तौर पर १४ फरवरी, १९४८ से होल विलेज मल्टी-परपस सोसाइटियां (समग्र ग्राम (बहुप्रयोजनक समितियां) बना कर ग्राम-विकास केन्द्रों से संघटन के लिए एक पृथक योजना की स्वीकृत दी है। इस योजना में समूचे ग्राम के आर्थिक जीवन के पुनः संगठन की दृष्टि से समस्त ग्राम के आधार पर मल्टी-परपस सोसाइटियों (बहुप्रयोजनक समितियों) के संगठन के लिये पहले साल हर डिवीजन में एक के हिसाब से प्रान्त में चार थाने चुने जायंगे। इस योजना को दृष्टि में रखते हुए सरकार पहली लाइनों पर ग्राम-विकास विभाग को पुनर्जीवित करने की कोई जरूरत नहीं समझती।